"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 जून 2011—ज्येष्ठ 12, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-29/2011/वाक/पांच (35).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्,—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में शब्द "अपीलीय उपायुक्त" के पश्चात् शब्द "या अपर आयुक्त" अंत:स्थापित किया जाये.

2. नियम 9 में,—

(एक) उप-नियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (एक) में अंक एवं शब्द "36 समान मासिक किश्तों में" का लोप किया जाये.

(दो) उप-नियम (3) के खंड (ख) के उप-खंड (दो) में अंक एवं शब्द "एक माह में यदि क्रय मूल्य एक लाख रुपये से कम है तो एक मुश्त और यदि क्रय मूल्य एक लाख से अधिक है तो 36 समान किश्तों में" का लोप किया जाये.

3. नियम 11 के उप-नियम (1) के खंड (क) में शब्द "आवेदन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्ररूप 10 में" के पश्चात् "दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा" के स्थान पर अंक एवं शब्द "इलेक्ट्रानिक पद्धति से प्रस्तुत किया जाएगा और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सत्यापन हेतु प्ररूप 10 की एक प्रति प्रस्तुत करेगा जिसे" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. नियम 12 में,—

(एक) उप-नियम (1) के खंड (एक) में अंक एवं शब्द "प्ररूप 11 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" के स्थान पर अंक एवं शब्द "प्ररूप 10-क में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2) (क). अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आवेदन में दिए गए ब्यौरों की सत्यता का सत्यापन करने की दृष्टि से आवेदक के लेखे मंगवाएगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने आवेदन में दिए गए ब्यौरों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करे. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं और दस्तावेजों का सत्यापन करने पर ब्यौरों की सत्यता के बारे में समाधान हो जाए तो वह आवेदक को, यथास्थिति धारा 16 की उप-धारा (4) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्ररूप 11 में स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

(ख) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का यदि ऐसा सत्यापन करने पर समाधान हो जाए कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे गलत हैं तो वह, यथास्थिति धारा 16 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार आवेदन को नामंजूर कर देगा और अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर देगा."

5. नियम 20 में,—

(एक) उप-नियम (2) के खंड (क) के परंतुक के स्थान निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परंतु प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसकी वार्षिक कुल बिक्री चालीस लाख रुपये से कम है, तो प्रथम दो वर्ष के प्रत्येक तिमाही के लिये प्ररूप 17 में विवरणी, तिमाही की समाप्ति के दिनांक से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा तथा दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक वर्ष के लिये प्ररूप 17 में विवरणी, वर्ष की समाप्ति के दिनांक से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा."

(दो) उप-नियम (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"(घ) इलेक्ट्रानिक विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करने के पश्चात् तीस दिवस के भीतर संबंधित वृत्त में जमा की गई कर राशि के चालान की प्रति के साथ प्ररूप 17-क प्रस्तुत कर अभिस्वीकृति प्राप्त की जायेगी.

(ङ) यदि खंड (घ) के अन्तर्गत निर्धारित अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है, तो यह समझा जायेगा कि विवरणी, प्रस्तुत नहीं की गई है."

6. नियम 36 के उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(7) ऐसा प्रत्येक व्यापारी, जिसकी गत वित्तीय वर्ष में कर की देनदारी रुपये पांच लाख या इससे अधिक थी, अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक पद्धति से विवरणी प्रस्तुत करेगा."

7. नियम 46 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"46-क. ऐसा व्यवसायी, जिसका व्यवसाय स्थल, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 (क्र. 28 सन् 2005) के अधीन स्थापित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में स्थित है, तो अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए की गई खरीदी के संबंध में, दो प्रतियों में प्ररूप 76 में घोषणा पत्र जारी करेगा, जिसकी एक प्रति माल के विक्रेता को देगा तथा एक प्रति संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजेगा."

8. नियम 55 की सारणी में,—

(एक) सरल क्रमांक 4 के कॉलम (4) की प्रविष्टि क्रमांक (दो) में शब्द "तीन करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) सरल क्रमांक 4 के कॉलम (4) की प्रविष्टि क्रमांक (तीन) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"सहायक आयुक्त — **पचास करोड़ रुपये की कुल विक्रय राशि और/या सकल क्रय राशि तक"**

(तीन) सरल क्रमांक 4 के कॉलम (4) की प्रविष्टि क्रमांक (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
"(चार) उपायुक्त — प्रत्येक व्यापारी के संबंध में"

9. नियम 82 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"82: **नियमों के उल्लंघन के लिये शास्ति का अधिरोपण.**— आयुक्त, इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर किसी व्यापारी या व्यक्ति को यथास्थिति, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, निम्नानुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीकृत कंपनी द्वारा, नियम 20 (2) (क) के अधीन विवरण पत्र फाइल नहीं करने पर शास्ति रु. 1,500/- से कम नहीं होगी किन्तु रु. 2,000/- से अधिक नहीं होगी.

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीकृत कंपनी से भिन्न व्यापारी जिनका सकल वार्षिक विक्रय रु. 40 लाख से अधिक है के द्वारा, नियम 20 (2) (क) के अधीन विवरण पत्र फाइल नहीं करने पर शास्ति रु. 500/- से कम नहीं होगी किन्तु रु. 1,000/- से अधिक नहीं होगी.

(3) कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन गठित एवं पंजीकृत कंपनी द्वारा नियम 20 (2) (ख) के अधीन वार्षिक विवरण पत्र प्रारूप-18 फाइल नहीं करने पर शास्ति रु. 3,000/- से कम नहीं होगी किन्तु रु. 5,000/- से अधिक नहीं होगी.

(4) कंपनी अधिनियम के अधीन गठित एवं पंजीकृत कंपनी से भिन्न व्यापारी जिनका सकल वार्षिक विक्रय रु. 40 लाख से अधिक है के द्वारा, नियम 20 (2) (ख) के अधीन वार्षिक विवरण पत्र प्ररूप 18 फाइल नहीं करने पर शास्ति रु. 1,000/- से कम नहीं होगी किन्तु रु. 2,000/- से अधिक नहीं होगी.

(5) नियम 20 (2) (घ) के अधीन विवरणी/वार्षिक विवरणी प्ररूप 17 एवं प्ररूप 18 फाइल करने के उपरांत, अभिस्वीकृति प्ररूप 17-क प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति रु. 1,000/- से कम नहीं होगी किन्तु रु. 2,000/- से अधिक नहीं होगी.

परन्तु उप-नियम (1) से (5) के अधीन आरोपित शास्ति की राशि 10,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी.

(6) नियम 36 (7) के अधीन इलेक्ट्रानिक पद्धति से कर का भुगतान नहीं किए जाने पर प्रत्येक चूक के लिये शास्ति रु. 500/- से कम नहीं होगी किन्तु रु. 1,000/- से अधिक नहीं होगी, किन्तु एक वर्ष में रु. 10,000/- से अधिक नहीं होगी.

(7) नियम 53 (1) के अधीन वार्षिक विवरण पत्र के साथ आडिट रिपोर्ट प्ररूप 50 प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति रु. 5,000/- से कम नहीं होगी किन्तु रु. 10,000/- से अधिक नहीं होगी.

(8) उप-नियम (1) से (7) के अधीन विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त इन नियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करने पर शास्ति रु. 200/- से कम नहीं होगी किन्तु रु. 1,000/- से अधिक नहीं होगी."

10. नियम 11 के उपनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप-10 में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

(एक) उक्त प्ररूप के पैरा 2 के खंड (चार) के कॉलम (5) में शब्द "घर का पता" के पश्चात् शब्द "ईमेल पता, फोन नंबर, मोबाईल नंबर" जोड़ा जाये.

(दो) उक्त प्ररूप के पैरा 2 के खंड (पंद्रह) में वर्तमान पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—
"स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की विशिष्टियां अनिवार्य रूप से उल्लिखित की जाये"

(तीन) उक्त प्रारूप के पैरा 2 के खंड (सोलह) में वर्तमान पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—
"बैंकरों की विशिष्टियां जिनके माध्यम से कारोबार किया जाता है, अनिवार्य रूप से उल्लिखित की जाये"

11. प्ररूप 10 के पश्चात् निम्नानुसार प्ररूप 10-क अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"प्ररूप-10-क

[देखिये नियम 12 (1) (क)]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

(प्रतिपर्ण)

1. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक ....
2. कारोबार का नाम ....
3. आवेदक का नाम ....
4. आवेदक की कारोबार में स्थिति ....
5. छत्तीसगढ़ में कारोबार के प्रमुख स्थान का पता ....
6. कारोबार का स्वरूप ....
   (एक) मुख्यत: व्यापार किया जाता है.
   (दो) मुख्यत: निर्माण किया जाता है.
   (एक) मुख्यत: खनन किया जाता है.
7. छत्तीसगढ़ में कारोबार का अतिरिक्त स्थान.
   स्थान .... नाम .... पता ....
8. गोदामों/भण्डारों की विशिष्टयां, यदि कोई हो ....
9. यह प्रमाणपत्र दिनांक .... से ....
   तक विधिमान्य है.

मुद्रा

तारीख

वाणिज्यिक कर अधिकारी का हस्ताक्षर

प्ररूप-10-क

[देखिये नियम 12 (1) (क)]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

1. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक ....
2. कारोबार का नाम ....
3. आवेदक का नाम ....
4. आवेदक की कारोबार में स्थिति ....
5. छत्तीसगढ़ में कारोबार के प्रमुख स्थान का पता ....
6. कारोबार का स्वरूप ....
   (एक) मुख्यत: व्यापार किया जाता है.
   (दो) मुख्यत: निर्माण किया जाता है.
   (एक) मुख्यत: खनन किया जाता है.
7. छत्तीसगढ़ में कारोबार का अतिरिक्त स्थान.
   स्थान .... नाम .... पता ....
8. गोदामों/भण्डारों की विशिष्टयां, यदि कोई हो ....
9. यह प्रमाणपत्र दिनांक .... से ....
   तक विधिमान्य है.

मुद्रा

तारीख

वाणिज्यिक कर अधिकारी का हस्ताक्षर"

12. प्ररूप 11 की दूसरी पंक्ति में शब्द एवं अंक "[देखिये नियम 12 (1)]," के स्थान पर शब्द एवं अंक "[देखिये नियम 12 (2) (क)]," प्रतिस्थापित किया जाये.

13. प्ररूप 17 के पश्चात् निम्नानुसार प्ररूप 17-क अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"प्रारूप-17-क

[देखिये नियम 20 (2) (घ) देखें]

अभिस्वीकृति तथा सत्यापन प्ररूप

1. संव्यवहार संदर्भ क्रमांक ....
2. विवरणी ....
3. पुनरीक्षित विवरणी ....
4. टिन ....
5. कारोबार व्यवसायी का नाम ....
6. व्यवसायी का नाम ....
7. पता ....
8. कार्य का प्रकार ....
9. अवधि ....
10. वित्तीय वर्ष ....
11. सकल विक्रय/क्रय राशि ....

12. प्रस्तुत करने की तिथि ....

13. चालान का विवरण—

क्रमांक	चालान क्र.	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा

14. संलग्न सूची :—

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि विवरणी आई.डी. क्रमांक .... के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णत: सही है.

स्थान ....

दिनांक ....

व्यवसायी का हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

14. प्ररूप 75 के पश्चात् निम्नानुसार नवीन प्ररूप 76 अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"प्ररूप 76

(नियम 46-क देखिए)

मैं .... छ.ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक .... तथा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 के अधीन प्राधिकृत व्यवसायी, एतद्द्वारा, यह घोषित करता हूं कि मैंने श्री .... से जो कि छ.ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक .... का धारक व्यवसायी है, माल क्रय किया है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :—

1. मैं यह और भी घोषित करता हूं कि :—

(क) क्रय किया गया माल, मेरे द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 एवं छ. ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 38 (1) (चार) के [illegible] के अनुसार उपयोग किया जायेगा.

(ख) यदि मेरे द्वारा छ.ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 38 (1) (चार) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाता है, तो ऐसे माल (वस्तुओं) के विक्रय मूल्य पर देयकर राशि 30 दिवस के भीतर जमा कर दूंगा.

क्रय किये गये माल की विशिष्टियां

क्रय आदेश/बिल/बीजक/ चालान/ कैश मेमो की विशिष्टयां (1)	दिनांक (2)	क्रय किये गये माल का विवरण (3)	मात्रा (4)	मूल्य (5)

कुल मूल्य (अंकों में) .... रुपये (शब्दों में) .... रुपये मात्र.

स्थान : ....

दिनांक : ....

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
एवं मुद्रा"

2. यह संशोधन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2011

क्रमांक एफ-10-29/2011/वाक/पांच (35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की **अधिसूचना** क्रमांक एफ 10-29/2011/वाक/पांच (35), दिनांक 02-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा **प्रकाशित** किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 2nd June 2011

NOTIFICATION

No. F 10-29/2011/CT/V (35).—In exercise of the powers conferred by Section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely,—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. In clause (b) of sub-rule (1) of rule 2, after the words "appellate Deputy Commissioner" the words "or Additional Commissioner" shall be inserted.

2. In rule 9,—

(i) In sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule (3), the words and figure "in 36 equal monthly installments" shall be omitted.

(ii) In sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (3), the words and figure "in 36 equal monthly installment" and words "If the purchase value of such capital goods is more than rupees one lac in a month and in one installment if the purchase value is less than rupees one lac in a month." shall be omitted.

3. In clause (a) of sub-rule (1) of rule 11, for the words "in form 10 in duplicate to the registration authority and" the words and figure "electronically and a copy of such Form-10 shall be submitted to the registering authority for verification which" shall be substituted.

4. In rule 12,—

(i) In clause (i) of sub-rule (1), for the words and figure "a registration certificate in form 11" the words and figure "a provisional registration certificate in form 10-A" shall be substituted.

(ii) For sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) (a). After the issue of the provisional registration certificate, the registering authority shall, with a view to verify the correctness of the particulars given in the application, call for the applicant's acoounts and require him to produce evidence in support of the paticulars given in the application. On verification of the accounts and documents furnished to him if the registering authority is satisfied about the correctness of the particulars, it shall issue to the applicant a permanent registration certificate in form 11 within the period specified in clause (b) of sub-section (4) of section 16 as the case may be.

(b) If on such verification, the registering authority is satisfied that the particulars given in the application are incorrect, it shall reject the application and cancel the provisional registration certificate in accordance with the provisions of clause (c) of sub-section (4) of Section 16 as the case may be."

5. In rule 20,—

(i) For proviso to clause (a) of sub-rule (2), the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that every such registered dealer whose annual turnover is less than rupees forty lacs shall furnish for each quarter of the first two years, a return in form 17 within thirty days of the expiry of the quarter and after expiry of two years shall furnish for each year a return in form 17 within thirty days from the date of expiry of the year."

(ii) After clause (c) of sub-rule (2), the following clauses shall be added, namely :—

"(d) After submission of electronic return, form 17-A be submitted along with copy of the challan of the tax deposited within thirty days in the relevant circle and acknowledgment be obtained.

(e) If acknowledgment prescribed under clause (d) is not obtained, then it will be deemed that no return has been filed."

6. In rule 36, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be added, namely :—

"(7) Every such dealer who has liability to pay tax of rupees five lac or more in the preceding year shall compulsorily submit return electronically."

7. After rule 46, the following rule shall be added, namely :—

"46-A. A dealer whose place of business is situated in Special Economic Zone established under The Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005) shall issue declaration in form 76 in duplicate in respect of the puchases made for the purposes specified in clause (iv) of sub-section (1) of Section 38 of the Act, in duplicate and give a copy to the selling dealer and send a copy to the concerning Commercial Tax Officer."

8. In the table of rule 55,—

(i) In column (4) of entry No. (ii) of S. No. 4 for the words "Rs. three crores" the words "Rs. five crores" shall be substituted.

(ii) In column (4) of entry No. (iii) of S. No. 4, the following shall be substituted, namely :—
"Assistant Commissioner — Upto a turnover and/or aggregate of purchase price of Rs. fifty crores."

(iii) After entry No. (iii) of column (4) of S. No. 4, the following shall be added, namely :—
"(iv) Deputy Commissioner — in respect of every dealer."

9. For rule 82, the following shall be substituted,—
"82: **Imposition of penalty for breach of rules.**— The Commissioner may impose following penalty after giving reasonable opportunity of being heard, on a dealer or a person, as the case may be, for committing breach of the provisions of these rules :—

(1) Penalty for not filing return under rule 20 (2) (a) by a company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall not be less than Rs. 1,500/- but shall not be more than Rs. 2,000/-.

(2) Penalty for not filing return under rule 20 (2) (a) by a dealer other than a company formed and registered under The Companies Act, 1956 whose annual turnover exceeds Rs. 40 lacs shall not be less than Rs. 500/- but shall not be more than Rs. 1,000/-.

(3) Penalty for not filing annual return in form 18 under rule 20 (2) (b) by a company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall not be less than Rs. 3,000/- but shall not be more than Rs. 5,000/-.

(4) Penalty for not filing annual return in form 18 under rule 20 (2) (b) by a dealer other than a company formed and registered under The Companies Act, 1956 whose annual turnover exceeds Rs. 40 lacs shall not be less than Rs. 1,000/- but shall not be more than Rs. 2,000/-.

(5) Penalty for not filling acknowledgment in form 17-A after filing return/annual return in form 17 or form 18 as the case may be, under rule 20 (2) (d) shall not be less than Rs. 1,000/- but shall not be more than Rs. 2,000/-.

Provided that the amount of penalty imposed under sub-rule (1) to (5) shall not exceed Rs. 10,000/-.

(6) Penalty for not paying tax electronically under rule 36 (7) shall not be less than Rs. 500/- but shall not be more than Rs. 1,000/- for each default, but shall not exceed Rs. 10,000/- in a year.

(7) Penalty for not filing audit report in form 50 along with annual return under rule 53 (1) shall not be less than Rs. 5,000/- but shall not be more than Rs. 10,000/-.

(8) Penalty for breach of any provisions of these rules other than specified under sub-rules (1) to (7) shall not be less than Rs. 200/- but shall not be more than Rs. 1,000/-."

10 In form 10, prescribed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 11, the following amendment shall be made, namely :—

(i) In column (5) of clause (iv) of para 2 of said Form, after the words "Home address" the words "E-mail address, Phone No., Mobile No." shall be added.

(ii) In clause (xv) of para 2 of said form, in place of present sentence the following sentence shall be substituted, namely :—
"Particulars of permanent account numbers (PAN) shall be mentioned compulsorily."

(iii) In clause (xvi) of para 2 of said form, in place of present sentence the following sentence shall be substituted, namely :—
"Particulars of the bankers through whom the business is transacted shall be mentioned compulsorily."

11. After form 10, the following Form-10-A shall be inserted, namely :—

"FORM 10-A
[See rule 12 (1) (a)]

Provisional Registration Certificate
(Counter foil)

1. Provisional Registration Certificate No. . . . .
2. Name of the business . . . .
3. Name of the applicant . . . .
4. Applicant status in business . . . .
5. Address of the principal place of business in Chhattisgarh . . . .
6. Nature of business . . . .
   (i) Mainly trading
   (ii) Mainly manufacturing
   (iii) Mainly mining
7. Additional places of business in Chhattisgarh.
   Place . . . . Name . . . . Address . . . .
8. Particulars of godown/warehouse if any . . . .
9. This certificate is valid from dated . . . .
   to. . . . .

Seal
Date

Signature of the Commercial
Tax Officer

FORM 10-A
[See rule 12 (1) (a)]

Provisional Registration Certificate

1. Provisional Registration Certificate No. . . . .
2. Name of the business . . . .
3. Name of the applicant . . . .
4. Applicant status in business . . . .
5. Address of the principal place of business in Chhattisgarh . . . .
6. Nature of business . . . .
   (i) Mainly trading
   (ii) Mainly manufacturing
   (iii) Mainly mining
7. Additional places of business in Chhattisgarh.
   Place . . . . Name . . . . Address . . . .
8. Particulars of godown/warehouse if any . . . .
9. This certificate is valid from dated . . . .
   to. . . . .

Seal
Date

Signature of the Commercial
Tax Officer"

12. In second row of form 11 in place of words and figure "[See rule 12 (1)]", the words and figure "[See rule 12 (2) (a)]" shall be substituted.

13. After form 17, the following Form 17-A shall be inserted, namely :—

"FORM-17-A
[See rule 20 (2) (d)]

Acknowledgment and Verification Form

1. Transaction Ref. No. . . . .
2. Return . . . .
3. Revised Return . . . .
4. TIN . . . .
5. Dealer's Business Name . . . .
6. Dealer's Name . . . .
7. Address . . . .
8. Act type . . . .
9. Period . . . .
10. Financial Year . . . .
11. Gross Turnover . . . .
12. Submission dated . . . .
13. Challan details :—

S. No.	Challan No.	Date	Amount	Name of the Bank	Branch

14. Enclosure list :—
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

DECLARATION

The particulars given above against return Id No. .... are true to the best of my knowledge and belief.

Place : ....　　Signature of Dealer ....
Dated : ....　　Designation ....

14. After form 75, the following new Form-76 shall be inserted, namely :—

"FORM-76
(See rule 46-A)

I, ... a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and authorized under the Special Economic Zones Act, 2005 hereby declare that I have puchased goods, particulars of which are given below, from Shri .... a dealer holding registration certificate No. (TIN) .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

2. I further declare that :—
(a) Goods purchased by me are for use as per provision of section 38 (1) (iv) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and the Special Economic Zones Act, 2005.

(b) If the goods are used for the purpose other than the purpose specified under section 38 (1) (iv) of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, I shall pay the tax payable on sale of such goods within 30 days.

Particulars of goods purchase

Particulars of purchase order/bill/invoice/challan/ cash-memo (1)	Date (2)	Detail of purchased goods (3)	Quantity (4)	Value (5)

Total Value (In figure) Rs. ....(In words) Rs. ....only.

Place : ....　　Signature of issuing authority and seal"
Date : ....

2. This amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.